रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 1997/आषाढ़ 19,1919
No. 281] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 1997/ASADHA 19, 1919

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1997

सा.का.नि. 381 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1-क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

किसी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1997 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 49 के उप नियम (16) में, "और भागतः मखनिया दुग्धचूर्ण" शब्दों के स्थान पर "भागतः मखनिया दुग्ध चूर्ण और भागतः मखनिया मधुरित संघनित दुग्ध" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट (ख) में,—

(क) मद क. 07-01-01 के खंड (ख) में, "सुक्रोस" शब्द के स्थान पर
"कुल चीनी (जिसे सुक्रोस के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) मद क. 10.06 में "कोका बटर—" से आरम्भ होने वाले और "(आर्द्रता और वसा मुक्त आधार पर) 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा" से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"कोका बटर—

(i) कम वसा के लिए—(आर्द्रता मुक्त आधार पर)

10.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(ii) अधिक वसा के लिए—(आर्द्रता मुक्त आधार पर)

20 प्रतिशत से कम नहीं होगा";

(ग) मद क. 11.02.13 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"क. 02.13.01—भागत: मखनिया मधुरित संघनित दूध से गाय या भैंस के भागत: मखनिया दूध या उनके संयोजन से भागत: जल को निकाल कर और चीनी को मिलाकर अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। इसमें मिलाया गया परिष्कृत लैक्टम, कैल्शियम क्लोराइड, साइट्रिक अम्ल, सोडियम साइट्रेट, आर्थोफास्फोरिक अम्ल और पोली फास्फोरिक अम्ल (रेखिक फास्फेट के रूप में) का सोडियम लवण जो परिष्कृत उत्पाद के भार में 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे मिलाए गए पदार्थ को लेबल पर घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। भागत: मखनिया मधुरित संघनित दूध में कुल दुग्ध ठोस 28.0 प्रतिशत से कम और इक्षु चीनी 40.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी। वसा का अंश भार में 3.0 प्रतिशत से कम और 9.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(घ) मद क. 14 के खंड (ग) में, "हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (एच.सी.एल.) में अविलेय भस्म" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म",

(ङ) मद क. 15 में "दृश्य संदूषण के रूप में" शब्दों के स्थान पर "संदूषण" और मद 15.01 में "दृश्य रूप में" शब्दों के स्थान पर "संदूषण" शब्द रखा जाएगा;

(च) मद क. 18.02 में "मैदा (व्हीट फ्लोर)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "मैदा" शब्द रखा जाएगा;

(छ) मद क. 18.04 के खंड (ख) में, "तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (एच.सी.एल) में अविलेय भस्म" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म";

(ज) मद क. 18.06.04 के खंड (iii) में "(जिसमें विरंजित छोर वाले सम्मिलित नहीं है)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं. पी-15014/7/96-पी.एच.(खाद्य)]

रेणु साहनी धर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 1997

G.S.R. 381(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1-A) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government;

Objection or suggestion, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1997.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 49, in sub-rule

(16), for the words, "and partly skimmed milk powder", the words, "partly skimmed milk powder and partly skimmed sweetened condensed milk" shall be substituted.

3. In Appendix 'B' to the principal rules,—

(a) in item A.07.01.01, in clause (b), for the word, "Sucrose" the words and brackets, "Total Sugar (called, known or expressed as Sucrose)" shall be substituted;

(b) in item A.10.06 for the portion beginning with "Cocoa butter—" and ending with "(on moisture and fat free basis)",

the following shall be substituted, namely —

"Cocoa butter —

(i) for low fat ..... Not less than 10.0 per cent (on moisture free basis),

(ii) for high fat ..... Not less than 20 per cent (on moisture free basis)";

(c) after item A.11.02.13, the following item shall be inserted, namely —

"A.11.02.13.01—Partly skimmed sweetened condensed milk means the product obtained from partly skimmed cow or buffalo milk or a combination thereof by the partial removal of water and after addition of cane sugar. It may contain added refined lactose, calcium chloride, citric acid, sodium citrate, sodium salts of ortho phosphoric acid and poly phosphoric acid (as linear phosphate) not exceeding 0.3 per cent by weight of the finished product. Such addition need not be declared on the label. Partly skimmed sweetened condensed milk shall contain not less than 28.0 per cent of total milk solids and not less than 40.0 per cent cane sugar. The fat content shall not be less than 3.0 per cent and more than 9.0 per cent by weight;

(d) in item A.14, in clause (c), for the words and letters, "Ash insoluble in Hcl", the following words shall be substituted, namely—

"Ash insoluble in dilute hydrochloric acid";

(e) in item A.15 and in item A.15.01, for the words "free from visible contamination", the words "free from contamination" shall be substituted;

(f) in item A.18.02, for the words and brackets "Maida (wheat flour) means", the words "Maida means" shall be substituted;

(g) in item A.18.04, in clause (b), for the words and letter "Ash insoluble in Hcl", the following shall be substituted, namely—

"Ash insoluble in dilute hydrochloric acid";

(h) in item A.18.06.04, in clause (iii), the brackets and words "(excluding discoloured tip)", shall be omitted.

[No. P-15014/7/96-PH(Food)]

RENU SAHNI DHAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997